कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001
email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/241 दिनांकः– 26/04/2023

–:बैठक कार्यवाही विवरण:–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना क्रमांक प. 17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समितिं बैठक दिनांक 26.04.2023 को उपायुक्त (जोन–6) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुईं। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम चैनपुरा के खसरा संख्या 75 से 78, 83 से 87,90 से 93,102 सर्वेयर अनुसार 39677.47 वर्गमीटर भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ ले आउट प्लान अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण तथ्य–

1. पत्रावली के पैरा संख्या 18 के अनुसार प्रश्नगत योजना वर्ष 31.12.2021 से पूर्व की है तथा आवेदित भूमि पर मौके पर लगभग 10 प्रतिशत से अधिक भूखण्ड निर्मित है।
2. सर्वेयर अनुसार योजना का कुल क्षेत्रफल 39677.47 वर्गमीटर है।
3. पत्राघली के पैरा संख्या 4 व 10 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 75 से 78, 83 से 87,90 से 93,102 विधि शाखा में वाद लंम्बित नही है ।
4. पत्रावली के पैरा संख्या 31 पर अंकित रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 83 से 87,90 से 93 अवाप्ति में विचाराधीन नही है पत्रावली के पृष्ठ संख्या 68, 69 पर संलग्न रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 75 से 78, 102 अवाप्ति में विचाराधीन नही है ।
5. तहसीलदार जोधपुर की रिपोर्ट पत्रावली के पृष्ठ संख्या 11, 12, 16, 17, 26 से 35, 76, 77, 87, 84, 85, 88 पर सलंग्न है जिसके अनुसार मौके व अनुसार 25 . 30 फीट_पहुंच मार्ग उपलब्ध हो रहा है।
6. आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार 120 फीट एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार special road -2 है ।
7. प्रकरण के पृष्ठ संख्या 82 पर संलग्न सुपरइम्पोज्ड मानचित्र में आवेदित भूमि के पूर्व दिशा में स्थित सड़क का मार्गाधिकार मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार 120 फीट एवं आंतरिक सड़कों का मार्गाधिकार न्यूनतम 30 फीट रखने के उपरान्त क्षेत्रफल विश्लेषण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	प्रयोजन	कुल क्षेत्रफल वर्गमीटर में	प्रतिषत
1.	आवासीय	25741.29	64.87
2.	सडक	13936.17	35.13
कुल		39677.46	100.00

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तो के साथ ले–आउट प्लान अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया–

01. प्रश्नगत भूमि मे सरकारी भूमि सम्मिलित नही हो, की सुनिष्चितता जोन स्तर पर की जावे।
02. आवेदित भूखण्ड के आस पास के कमिटमेंट की सूचना जोन स्तर से प्राप्त की जावे।
03. एजेण्डा के विन्दु संख्या 6 के क्रम में आवेदित भूमि का पहुंच मार्ग को special roads का मार्गाधिकार निर्धारित नही होने के कारण मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के अनुसार 120 फीट सडक का मार्गाधिकार रखा जावें। जिसकी सुनिश्चितता जोन द्वारा की जावें।
04. एजेण्डा के विन्दु संख्या 7 के क्रम में पट्टा विलेख जारी करते समय मौका रिपोर्ट ली जाकर न्यूनतम 30 फीट सडक की सुनिश्तिता की जावें।
05. उक्त ले–आउट प्लान अनुमोदन मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नही है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे. जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
06. प्रस्तावित भूमि से सम्वन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति, एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेंदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नही है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लंम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।

Apsent
तहसीलदार
जोधपुर विकास प्राधिकरण

अधिषाषी / सहायक अभियन्ता
जोधपुर विकास प्राधिकरण

सहायक नगर नियोजक (जोन–6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

उपायुक्त (जोन–6)
जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांक: F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./ 2023/ 242-247 दिनांक:– 26/04/2023

प्रतिलिपी :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन–6, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिषाषी/सहायक अभियन्ता, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार, जो.वि.प्रा., जोधपुर

सहायक नगर नियोजक (जोन–6)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर